संख्या-328/2017/168/22-2-2017-17(258)/2016

प्रेषक,

सूर्य प्रकाश सिंह सेंगर,
संयुक्त सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

महानिरीक्षक,
कारागार प्रशासन एवं सुधार सेवायें,
उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

कारागार प्रशासन एवं सुधार अनुभाग-2 ***लखनऊ: दिनांक 28 अप्रैल, 2017***

विषय:- आदर्श कारागार, लखनऊ (नारी बन्दी निकेतन) में निरूद्ध सिद्धदोष महिला बन्दी रानी वर्मा पत्नी श्री लालता प्रसाद, निवासी-जनपद-कानपुर नगर की दयायाचिका के आधार पर समयपूर्व रिहाई के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक अपने पत्र संख्या-42941/प्रोबे0-5-द0या0 बैठक-28.10.2016, दिनांक 02.12.2016 का कृपया संदर्भ ग्रहण करें।

2- आपके उक्त पत्र द्वारा उपलब्ध कराये गये प्रस्तावानुसार आदर्श कारागार, लखनऊ (नारी बन्दी निकेतन) में निरूद्ध सिद्धदोष महिला बन्दी रानी वर्मा पत्नी श्री लालता प्रसाद, निवासी-51 एल0आई0जी गंगापुर कालोनी, थाना-नौबस्ता, जनपद-कानपुर नगर की रहने वाली है। महिला बन्दी द्वारा दहेज की मांग को लेकर दिनांक 15.11.2003 को 04 सहअभियुक्तों के साथ मिलकर मिट्टी का तेल डालकर 01 महिला की हत्या कर अपराध कारित किया गया है। उक्त अपराध के लिए महिला बन्दी को सत्र परीक्षण संख्या-546/2004 में भा0द0वि0 की धारा-498ए, 304बी व 3/4 डीपी एक्ट के अन्तर्गत मा0 अष्टम अपर सत्र न्यायाधीश, कानपुरनगर के आदेश दिनांक 13.04.2007 को आजीवन कारावास के दण्ड से दण्डित किया गया। महिला बन्दी द्वारा दिनांक 10.06.2016 तक 10 वर्ष 08 माह 28 दिन की अपरिहार सजा तथा 13 वर्ष 08 माह 06 दिन की सपरिहार सजा भोगी गयी है। वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक एवं जिला मजिस्ट्रेट ने महिला बन्दी द्वारा पुन: अपराध करने में अशक्त नहीं होने, महिला बन्दी को जेल में और आगे निरूद्ध रखने का सार्थक प्रयोजन होने एवं परिवार की सामाजिक/आर्थिक स्थिति महिला बन्दी की समयपूर्व रिहाई हेतु उपयुक्त नहीं होने की आख्या अंकित करते हुए महिला बन्दी की समयपूर्व रिहाई की संस्तुति नहीं की है। दयायाचिका समिति द्वारा कारित अपराध की प्रकृति, काटी गयी सजा, जिला मजिस्ट्रेट तथा पुलिस अधीक्षक की आख्या के दृष्टिगत सम्यक् विचारोपरान्त समयपूर्व रिहाई की संस्तुति नहीं की गयी है।

3- उपर्युक्त वर्णित तथ्यों के परिप्रेक्ष्य में मुझे यह सूचित करने का निदेश हुआ है कि विषयांकित महिला बन्दी रानी वर्मा (बन्दी संख्या-1628/एन0बी0एन0) पत्नी श्री लालता प्रसाद, निवासी-जनपद-कानपुर नगर की संविधान के अनुच्छेद-161 के अन्तर्गत दया याचिका के आधार पर समयपूर्व रिहाई सम्यक् विचारोपरान्त शासन द्वारा **अस्वीकार** कर दी गयी है। कृपया उपरोक्त से बन्दी को भी अवगत कराने का कष्ट करें।

भवदीय,

(सूर्य प्रकाश सिंह सेंगर)
संयुक्त सचिव।

संख्या-328/2017/168/(1)/22-2-2017 तद्दिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1- जिला मजिस्ट्रेट, कानपुर नगर।
2- वरिष्ठ अधीक्षक, आदर्श कारागार, लखनऊ ।
3- गार्ड फाईल।

आज्ञा से,

(सूर्य प्रकाश सिंह सेंगर)
संयुक्त सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in